न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–225/19 (आरसीएमएस नं. 2019/00139)

1. लोकनाथ शर्मा पुत्र स्व. श्री बद्रीनारायण, जाति ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम बैनाड़, तहसील आमेर, जिला जयपुर हाल निवासी 613, शिव शक्ति पैराडाईज सेन्ट्रल स्पाईन, विधाधर नगर जयपुर, राजस्थान।
2. निरंजन जोशी पुत्र स्व. श्री बद्रीनारायण, जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम बैनाड़, तहसील आमेर जिला जपयुर हाल निवासी 613, शिव शक्ति पैराडाईज सेन्ट्रल स्पाइन विधाधर नगर जयपुर, राजस्थान।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार रामपुरा ड़ाबड़ी जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 18.11.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर के आदेश दिनांक 09.09.2019 (प्रकरण संख्या 38/2010) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि ग्राम बैनाड़ तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित विवादग्रस्त आराजी की जमाबन्दी सम्वत् 2025 से 2028 अनुसार कृषि भूमि खसरा नम्बर 341 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा के रिकार्डेड खातेदार हनुमान व बदरी पिसरान श्योनाथ कौम ब्राहाम्ण सा. देह थे किन्तु पटवारी हल्का ने भूमि के रिकार्डेड खातेदारान को कोई सूचना व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही व बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश/निर्णय व डिक्री के न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विरूद्ध एक नोट ''श्रीमान उप शासन सचिव राजस्व गुप–6 के आदेश क्रमांक 2(4) राजस्व 90/311 दिनांक 13.12.1991 अनुसार खसरा नम्बर 341 माफी मंदिर श्री गोपाल जी वाके देह खातेदार पढा जावें'' अंकित कर दिया जो अपीलान्ट्स के हितों के विरूद्ध प्रारम्भ से ही अवैध व अनुचित है।

अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने कथन किया है कि अपीलान्ट उक्त रिकार्डेड़ खातेदार श्री बदरी उर्फ बद्रीनारायण के वारिसान है, जमाबन्दी सम्वत् 2025 से 2028 में अंकित आराजी खसरा नम्बर 341 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा साबिक खसरा नम्बर 299 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा से व हाल बन्दोबस्त के दौरान खसरा नम्बर 341 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 661 रकबा 1.85 हैक्टयर व खसरा नम्बर 658/928 रकबा 0.10 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.95 हैक्टयर मिलान क्षेत्रफल अनुसार बने है जो

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

विवादग्रस्त है तथा हाल जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 के अनुसार भूमि विवादग्रस्त की खातेदारी अपीलान्ट के पूर्वज हनुमान, बदरी पिसरान श्योनाथ के स्थान पर माफी मंदिर श्री गोपाल जी वाके देह खातेदार अंकित कर दिया गया जो विधि विरूद्ध है।

अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने कथन किया है कि विवादित भूमि बजमाना जागीर से अपीलान्ट्स के हकपूर्वाधिकारी दादा श्री श्योनाथ जी के जयपुर रियासत के समय राजस्व रिकार्ड ''फेहरिस्त मुआफियान बाबत मौजा बैनाड़ तहसील व निजामत आमेर राज सवाई जयपुर सम्वत 1999'' के कॉलम संख्या 2 (नाम मुआफिदार मय वल्दियत व कौमियत व सकूनत व हिस्सा) में उदक बनाम श्योनाथ बल्द चन्दा कौम ब्राहाम्ण सा0. देह देन ठिकाना व कॉलम संख्या 3 (नाम काश्तकार) खुदकाश्त, खसरा नम्बर 299 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा अंकित है अर्थात बजमाना जागीर से उक्त भूमि के दादा श्री श्योनाथ पुत्र चन्दा के उदक (जागीर) जिसे राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की प्रथम अनुसूचित में 32 नम्बर पर अंकित किया है की भूमि थी जिन्हे उक्त अधिनियम की धारा 10 अनुसार खातेदारी अधिकार कानूनन प्राप्त हुए है तथा कानूनन रिकार्डेड खातेदार के खातेदारी अधिकार नोटिफीकेशन के माध्यम से समाप्त नही किये जा सकते है। उन्होने आगे कथन किया है कि राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 13.12.1991 को विलोपित कर नवीन परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग क्रमांक प. 3(2) राज–6/07/19 जयपुर दिनांक 25.11.2011 जारी किया जा चुका है इसलिये जो जमाबन्दी सम्वत् 2025 से 2028 ग्राम बैनाड़ तहसील आमेर स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 341 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा के खातेदार हनुमान, बदरी पिसरान श्योनाथ ब्राहाम्ण के स्थान पर नोट अंकित कर ''माफी मंदिर श्री गोपाल जी वाके देह पढ़ा जावे'' को दुरूस्त किया जाकर पूर्व जमाबन्दी से परिपत्र 1991 की प्रविष्टि को निरस्त किये जाने की कृपा करें किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के वास्तविक तथ्यों को कतई समझे बिना अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.09.2019 पारित किया गया है जो विधि विधान एवं पत्रावली के तथ्यों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद के वास्तविक बिन्दू को समझे बिना कि अपीलान्ट्स के पिता बद्री पुत्र श्योनाथ जमाबन्दी सम्वत् 2025 से 2028 अनुसार विवादित आराजी के काबिज रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड थे जिनकी खातेदारी भूमि के सम्बन्ध में परिवर्तन करने से पूर्व भूमि के रिकार्डेड खातेदार को सूचना व सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किये बिना ही उनकी खातेदारी समाप्त कर नवीन खातेदार माफी मंदिर श्री गोपाल जी के नाम अंकित करने में न्याय के मूलभूत सिद्धान्त प्राकृतिक न्याय की अवहेलना कर अंकित नोट प्रारम्भ से अवैध व शून्य प्रभावी है जिसे न्यायहित में निरस्त किया जाना चाहिये। उन्होने यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचारणीय कानूनी बिन्दू सिर्फ इतना ही था कि रिकार्डेड खातेदारों की खातेदारी को विलोपित करने के अधिकार पटवारी को बिना सक्षम न्यायालय के आदेश व

संभागीय आयुक्त
जयपुर

डिक्री बिना व खातेदार काश्तकार को सूचित व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना कानूनन किसी परिपत्र की आड़ में रिकार्डेड खातेदारों की खातेदारी समाप्त नही की जा सकती लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस अहम कानूनी पहलू को समझे बिना ही अपीलधीन आदेश दिनांक 09.09.2019 पारित किया गया है जो विरूद्ध कानून व न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट दिनांक 23.04.2019 भू.अ.निरीक्षक रिपोर्ट दिनांक 16.04.2019 व उप विधि परामर्शी डी.एल.आर से प्राप्त रिपोर्ट आदि में व दिनांक 10.02.1945 को पारित रेवेन्यू कोर्ट राज सवाई का निर्णय तथा आयुक्त देवस्थान कमिश्नर का निर्णय दिनांक 28.01.1953 जिनमें स्पष्ट उल्लेख है कि विवादग्रस्त भूमि माफी मंदिर की नही है पर अपना निर्णय न देकर मनमाना अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि विवादित भूमि प्रारम्भ से अर्थात बजमाना राज सवाई जयपुर के समय से अपीलान्ट के पूर्वज श्योनाथ पुत्र चन्द ब्राहाम्ण के कब्जे काश्त व खातेदारी की होना प्रमाणित होते हुए भी परिपत्र 1991 के आधार पर अंकित नोट जो परिपत्र दिनांक 25.11.2011 के द्वारा प्रभावहीन किया जा चुका था को पढे व समझे बिना पारित किया गया है जो न्याय व कानूनी प्रावधानों क प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत लिपिकीय/पटवारी द्वारा बिना अधिकार के जमाबन्दी में अंकित नोट लिपिकीय त्रुटि मात्र है जिसे दुरूस्त कराने का वैधानिक अधिकार लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर उपखण्ड अधिकारी को था इसके अतिरिक्त लैण्ड होल्डर उप तहसीलदार रामपुरा डाबड़ी तहसील जयपुर द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट दिनांक 23.04.2019 मे स्पष्ट अंकित किया गया था कि विवादित भूमि माफी मंदिर गोपाल जी वाके देह की नही है, इसलिये दुरूस्ती की जा सकती है अर्थात अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों से सहमति दी गई जिसे समझे बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.09.2019 पारित किया गया है जो निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 में दी गई व्यवस्था को समझे बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर अपीलधीन आदेश पारित किया है क्योंकि कानूनन धारा 136 के तहत पक्षकारों की सहमति से कोई भी त्रुटि सही की जा सकती है, तथा हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उप तहसीलदार की जॉच रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख व विवेचन किया गया था कि विवादित भूमि माफी मंदिर गोपाल की नही है, ऐसी परिस्थिति में लैण्ड होल्डर की रिपोर्ट के प्रतिकूल अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो निरस्तनीय है। अतः अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.09.2019 खारिज फरमाया जाकर जमाबन्दी सम्वत् 2025 से 2028

संभागीय आयुक्त
जयपुर

पर पटवारी हल्का द्वारा अंकित नोट ''माफी मंदिर श्री गोपाल जी वाके देह खातेदार पढा जावें'' को विलोपित/खारिज किया जाकर पूर्व अनुसार भूमि विवादग्रस्त हनुमान व बद्रीनारायण ब्राहाम्ण खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि जमाबन्दी सम्वत 2025 से 2028 में हनुमान व बदरी पिसरान श्योनाथ कौम ब्राहाम्ण के नाम दर्ज रिकार्ड थी जिस पर पटवारी हल्का द्वारा राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र संख्या क्रमांक प.2(4) राज/4/90/37 दिनांक 13.12.91 के अनुसरण में वादग्रस्त आराजी को ''माफो मंदिर श्री गोपाल ही वाके देह खातेदार पढ़ा जावें'' नोट दिनांक 23.05.1992 को अंकित किया गया है तथा राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 3(2)राज'2/07/19 जयपुर दिनांक 25.11.2011 द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र को भू–प्रबन्ध अधिकारियों/राजस्व अधिकारियों ने मूर्ति मंदिर की खातेदारी भूमि के साथ लिखे पुजारी/सेवायतों के नाम हटाने के साथ–साथ उन कृषको के खातेदारी अंकनों को भी विलोपित कर दिया गया जिनका राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत वैद्य रूप से खातेदारी अधिकार प्रोदभूत हुये थे, यह कानूनी रूप से गलत तथा पत्र दिनांक 31.12.91 की मंशा के विरूद्ध की गई थी तथा इस प्रकार पत्र दिनांक 31.12.91 की मंशा के विपरित वैद्य काश्तकारों का खातेदारी अंकन विलोपित करना कानून संगत नही माना है ऐसे स्थिति राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.11.2011 के अनुसरण में कार्यवाही की जानी अपेक्षित थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.09.2019 पारित किया गया है जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.09.2019 को खारिज किया जाता है एवं वादग्रस्त आराजी बाबत दिनांक 23.05.1992 को पटवारी हल्का द्वारा लगाया गया विवादित नोट को भी विलोपित/खारिज किया जाता है।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।